भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1213

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोजगार की स्थिति

1213. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षो के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कितने कुशल या अकुशल युवाओं को नौकरियां मिलीं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में उद्योग या रोजगारोन्मुखी क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग)**:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान रोजगार को दर्शाने वाला युवाओं (15-29 वर्ष) का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने 9 मार्च, 2024 को क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लचीलापन और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना "उन्नति" (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना) शुरू की थी। उन्नति योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैः

i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)

ii. पूंजी ब्याज अनुदान (सीआईएस)

iii. विनिर्माण एवं सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई)

भारत सरकार ने देश में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के इरादे से दिनांक 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल भी शुरू की। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, दिनांक 31 जनवरी 2025 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2,109 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए ऋण पहुंच की सुविधा के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), जो कि एमडीओएनईआर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पूर्वोत्तर उद्यम विकास योजना (एनईईडीएस) के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कुल 300 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वार्षिक बजटीय आवंटन प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 28.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1213 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात (%)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अरुणाचल प्रदेश	22.9	24.3	20.0	35.1	40.0
असम	25.2	31.3	37.6	44.6	44.0
मणिपुर	21.8	17.4	18.7	26.3	24.3
मेघालय	32.5	37.5	38.8	41.6	53.1
मिजोरम	28.6	28.3	25.0	25.1	22.5
नागालैंड	13.9	21.5	31.3	38.9	36.5
सिक्किम	52.3	46.0	50.2	47.2	52.6
त्रिपुरा	32.9	33.2	34.2	36.4	43.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई